

आयुष्मान भारत, मध्यप्रदेश
दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद
प्रथम तल, आई.ई.सी. ब्यूरो,
जय प्रकाश अस्पताल परिसर, भोपाल

पत्र क्रमांक / 24/ प्रशा. / 2018 / 33
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28/8/18


समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्य प्रदेश

विषय :- आयुष्मान भारत म.प्र. के अन्तर्गत लाभार्थी का आई.पी.डी. होने पर, केस हिस्ट्री बनने पर होने वाला व्यय के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश के अन्तर्गत चिन्हांकित तीनों श्रेणी यथा

1. एस.ई.सी.सी. के लाभार्थी परिवार जो कि आयुष्मान भारत के लिए चिन्हांकित किये गये है ।
2. सम्बल योजना के लाभार्थी परिवार
3. एन.एफ.एस.ए. के लाभार्थी परिवार

उपरोक्त लाभार्थी में से अगर उनके इलाज हेतु आई.पी.डी. बनता है तो उसकी सम्पूर्ण केस हिस्ट्री बनाई जाएगी तथा उसे साफ्टवेयर में भी स्केन करके अपलोड किया जाएगा। इस प्रक्रिया में स्केन कर साफ्टवेयर में प्रतिदिन अपलोड करने वाले दस्तावेजों, (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तथा क्लेम सम्मिट होने तक - सम्पूर्ण केस हिस्ट्री) पर होने वाले व्यय की @ 12/- प्रति केस हिस्ट्री के व्यय की अनुमति दी जाती है जिसकी प्रतिपूर्ती रोगी कल्याण समिति से की जायेगी। उपरोक्त व्यवस्था केवल पाथलेट अवधि के लिए रहेगी, इस अवधि के बाद (योजना के औपचारिक घोषणा के पश्चात) यह सम्पूर्ण व्यवस्था अस्पताल प्रशासन को स्वयं करनी होगी।



(रुही खान)

कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 28/8/18

पृ. क्रमांक. / 24/ प्रशा. / 2018 / 31
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ।

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र., भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. संचालक, चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन, भोपाल
7. समस्त क्षेत्रिय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।
9. समस्त नोडल अधिकारी आयुष्मान भारत ओ.आई.सी.म.प्र.।


कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश